न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 06/2025

बउनवान

1. सुमन पत्नी श्री हरिओम मीना जाति मीना निवासी 1/54 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज० मो० न० 9828293582
2. सुरेश कुमार पुत्र श्री हीरा लाल जाति कुम्हार निवासी धाकडखेडी तहसील लाडपुरा
3. भंवर सिंह पुत्र श्री लटूर सिंह जाति धोला
4. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री लटूर लाल जाति धोला
5. भंवर बाई उर्फ राजकुमारी पुत्री लटूर सिंह जाति धोला
6. हेमकंवर पुत्री श्री लटूर सिंह जाति धोला निवासीगण बमूलिया कला तहसील अन्ता जिला बारां
7. शबीना पत्नी श्री मोहम्मद अनवर जाति मुसलमान निवासी जामा मस्जिद के चन्द्रघटा कोटा जिला कोटा राज०

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. गीता बाई पुत्री स्व० श्री बक्श पत्नी श्री गोपाल सिंह जाति धोला निवासी बमूलिया कला हाल निवासी मकान नं0 132 वृन्दावन विहार कुन्हाडी कोटा जिला कोटा मो० नं0 9166746287.9509446392
2. राज० सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता जिला बारां

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–235 आर.टी एक्ट प्रकरण संख्या 01/2018 बउनवान गीताबाई बनाम भंवरसिंह वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता

प्रकरण संख्या 05/2025

बउनवान

1. डॉ. सुमन पत्नी श्री हरिओम मीना जाति मीना निवासी 1/54 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज० मो० न० 9828293582
2. सुरेश कुमार पुत्र श्री हीरा लाल जाति कुम्हार निवासी धाकडखेडी तहसील लाडपुरा
3. भंवर सिंह पुत्र श्री लटूर सिंह जाति धोला
4. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री लटूर लाल जाति धोला
5. भंवर बाई उर्फ राजकुमारी पुत्री लटूर सिंह जाति धोला
6. हेमकंवर पुत्री श्री लटूर सिंह जाति धोला निवासीगण बमूलिया कला तहसील अन्ता जिला बारां
7. शबीना पत्नी श्री मोहम्मद अनवर जाति मुसलमान निवासी जामा मस्जिद के चन्द्रघटा कोटा जिला कोटा राज०

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. गीता बाई पुत्री स्व० श्री बक्श पत्नी श्री गोपाल सिंह जाति धोला निवासी बमूलिया कला हाल निवासी मकान नं0 132 वृन्दावन विहार कुन्हाडी कोटा जिला कोटा मो० नं0 9166746287.9509446392
2. शम्मू सिंह पुत्र श्री गोपाल जाति जाति धोला निवासी बमूलिया कला हाल निवासी मकान नं0 132 वृन्दावन विहार कुन्हाडी. कोटा जिला कोटा
3. राज० सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता जिला बारां

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–451 भा.ना.सं. पुराना धारा 411 सी.आर.पी.सी. प्रकरण संख्या 01/2024 बउनवान सरकार जरिये एस.एच.ओ. अन्ता बनाम पार्टी नं. 1 गीताबाई वगैरह पार्टी नं. 2 भंवरसिंह वगैरह न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अन्ता

उपस्थिति :–1. श्री ओमप्रकाश मेहता II, अभिभाषक (प्रार्थीगण)

2. श्री धर्मेन्द्र सिंह चौहान, अभिभाषक (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक 10. 2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.12.01 12:56:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण निम्न आधारो पर यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करते है कि

उक्त दोनों प्रकरणों में समान विषयवस्तु एवं समान पक्षकारान होने से दोनों प्रकरणों में एक ही निर्णय पारित किया जाकर दोनों प्रकरणों में मूल निर्णय की प्रति संलग्न की गई है।

प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रथम प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा–235 आर.टी एक्ट** संक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त बउनवानी प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय अन्ता में वर्ष 2018 से विचाराधीन है। प्रार्थीगण को अन्ता आने जाने में असुविधा होती है तथा अप्रार्थीया के परिवारजन हमेशा तारीख पेशी पर आकर के लडाई झगडा करने व गाली गलोच करने पर आमादा रहते है अन्ता न्यायालय मे अधिकतर समय तारीख पेशी देने में ही खर्च होता है काम कुछ नहीं हो पाता है वर्तमान में अन्ता न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की शीट खाली है उपखण्ड अधिकारी अटरू को अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है। जो अन्ता कोर्ट वर्क नहीं कर रहे है। वर्तमान मे जनरल तारीख पेशी दी जा रही है आगामी पेशी 20.05.2025 से दिनांक 11.08.2025 नियत की गई है इसलिये प्रार्थीगण अपने प्रकरणो को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता से स्थानान्तरित करवाकर अन्य न्यायालय में सुनवाई हेतु भिजवाना चाहते है। अप्रार्थीया प्रार्थीगण पर मानसिक व शारीरिक दबाव बनाने के लिये नये नये मुकदमे दर्ज करवाती रहती है अप्रार्थीया कम 1 द्वारा 2018 में दावा क्रमांक 1/2018 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज०टी०एक्ट प्रकरण संख्या 1/2018 पेश किये हुये है। जिसके बाद धारा 212 की उपधारा (1) क. ख. उपधारा 2 राज०टी०एक्ट प्रकरण संख्या 8/2023 पेश कर दिया। इसके बाद पुलिस वालो पर झूठी शिकायते कर करके धारा 145 सीआरपीसी की कार्यवाही प्रकरण संख्या 1/2024 दिनांक 15.04.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता में पेश करवा दी। इस प्रकरण प्रार्थीगण को अप्रार्थीया व उसके रिश्तेदारान से हमेशा लडाई झगडे का खतरा बना रहता है इसलिये उक्त प्रकरणो को उपखण्ड अधिकारी अन्ता से अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने के वैधानिक अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मुकदमा संख्या 1/2018 बउनवान श्रीमति गीता बाई – बनाम भंवर सिंह वगेराह अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 राज०टी०एक्ट न्एवं प्रकरण संख्या 1/2018 बउनवान श्रीमति गीता बाई बनाम भंवर सिंह वगेराह अन्तर्गत धारा 212 राज०टी०एक्ट एवं प्रकरण संख्या 8/2023 अन्तर्गत धारा 212 की उपधारा (1) क.ख. उपधारा 2 राज०टी०एक्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता से अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो हो वह प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थिया कम 1 की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश हुआ कि उक्त बउनवानी प्रकरण माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय अतां के समक्ष विचाराधीन होना स्वीकार हैं। प्रार्थीगण का अन्ता आने जाने मे असुविधा होना तथा अप्रार्थी कम 1 के परिवारजन द्वारा हमेशा तारिख पेशी पर आकर लडाई झगडा व गाली गलोच करने पर आमादा रहना मिथ्या व मनगढत कथनो पर आधारित होने से अस्वीकर हैं। अन्ता न्यायालय में अधिकतर तारिख पेशी में समय खर्च होना कुछ काम नही होना तथा वर्तमान में पीठासीन अधिकारी की शीट खाली होना व उपजिला मजि० अटरू के अन्ता के पदभार पर कोई कोर्ट का कार्य नही कर वर्तमान में जनरल तारिख पेशी प्रदान करना गलत होने से अस्वीकार हैं। आगामी तारिख पेशियां केवल उक्त प्रकरण में ही नही अपितु उस दिनांक को नियत अन्य सभी प्रकरणो में प्रदान की गयी हैं जो उक्त प्रकरण को स्थानान्तरित करने हेतु उचित आधार नही होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र की मद् न० 2 पूर्णतया मिथ्या व असत्य होने से अस्वीकार है । अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीगण पर मानसिक व शारारिक दबाव बनाने के लिये मुकदमें दर्ज करवाने के कथन असत्य एवं अस्वीकार होने योग्य हैं। अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक तौर पर विवादीत आराजी को खुर्द–बुर्द कर रहन बय करने की धमकी देने व विवादीत आराजी पर स्थगन आदेश की अवहेलना करने के कारण अपने कानूनी अधिकारो के निमित्त सजग रहते हुये विधि अनुरूप सक्षम न्यायालय में कार्यवाहीयां पेश की हैं तथा प्रस्तुत कार्यवाहीयो में प्रार्थीगण को अपने बचाव में जवाब व साक्ष्य पेश करने एवं सुनवाई का पूर्ण मोका प्राप्त हैं। अप्रार्थी कम 1 वृद्ध महीला हैं जो अक्सर बीमार रहती हैं। जिसके द्वारा लडाई झगडा करने की कोई संभावना नही हैं। प्रार्थीगण जानबूझ कर अप्रार्थी कम 1 व उसके परिजनो पर लडाई झगडा करने का मिथ्या आरोप लगाकर उक्त प्रकरण को स्थानान्तरण करवाना चाहते ताकि उक्त प्रकरण की सुनवाई को टाला जाकर मामले को लम्बा किया जा सकें। प्रार्थीगण ने अपने कथनो की प्रमाणिकता में कोई भी फोजदारी कार्यवाही का दस्तावेज भी पेश नही किया हैं जो अप्रार्थी द्वारा लडाई झगडा किया जाना प्रकृट करता हो। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी कम 1 को परेशान करने व अधिनस्थ न्यायालय में लिम्बीत उक्त प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब कारित करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.12.01 12:56:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण निम्न आधारो पर यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करते है कि :–

आशय से मिथ्या मनगढत आधारो पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो विशेष हर्जा खर्चा सहीत काबिल खारिज होने योग्य हैं। उक्त प्रकरण में प्रार्थी कम 1, 2, 7 कोटा निवासी हैं तथा प्रार्थी कम 3 ता 6 ग्राम बम्बूलिया तह० अन्ता, जहाँ आराजी स्थित हैं के निवासी है जिससे अन्दाजा लगाया जा सकता हैं कि प्रार्थीगण अन्ता आने जाने में असुविधा होने बाबत् मिथ्या कथन कर रहें हैं। क्योकि प्रार्थी कम 1. 2. 7 को कोटा से बारां जिले में आने पर सबसे पहले अन्ता तह० रास्ते में पडती हैं तथा बारां जिले के अन्य उपखण्ड कोटा से दूर पडते हैं तथा प्रार्थी कम 3 ता 6 तो आराजी के मूल ग्राम बम्बूलिया तह० व उपखण्ड अन्ता में ही निवासरत हैं जिससे स्पष्ट हैं कि अन्ता आने जाने मे असुविधा का बिन्दु मिथ्या व काल्पनिक है। अप्रार्थीया कम 1 लगभग 80 वर्ष की वृद्ध महीला हैं जो अक्सर बीमार रहती हैं तथा वर्तमान में भी गत 5 दिन से अस्पताल में एडमिट हैं जो वर्तमान में कोटा शहर में निवास करती है तथा अन्ता उपखण्ड कोटा से बारां जिले में प्रवेश करने का सबसे पहला उपखण्ड है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 के काफी नजदीक है। उक्त प्रकरण को स्थानान्तरण करने पर अप्रार्थी कम 1 को ज्यादा असुविधा कारित होगी तथा उक्त प्रकरण के न्यायनिर्णयन में विलम्ब कारित होगा जिस कारण से प्रार्थीगण ने ज़ानबूझ कर उक्त प्रार्थना पत्र अन्ता उपखण्ड/न्यायालय में आने जाने में असुविधा का मिथ्या कथन कर बिना स्वत्रन्त्र साक्षी का शपथ पत्र पेश क्रिये श्रीमान के समक्ष पेश किया है जो निरस्तनीय हैं। वर्तमान में अन्ता उपखंड अधिकारी कार्यरत हैं जो न्यायिक प्रकरणो की समुचित सुनवाई कर रहे है। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अन्ता के समक्ष अप्रार्थी कम 1 द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अन्ता के समक्ष बउनवान प्रकरण गीता बाई बनाम भंवरसिंह वगैरा प्रकरण सख्यां 01/2018 अन्तर्गत धारा 88,89.53,188 आर०टी० एक्ट वर्ष 2018 से विचाराधीन है, जिसमें आज दिवस तक प्रार्थीगण को कोई असुविधा कारित नहीं हुई है। जबकी अप्रार्थी कम 1 द्वारा प्रस्तुत बउनवान प्रकरण गीता बाई बनाम भंवरसिंह अन्तर्गत धारा 212 आर०टी० एक्ट व धारा 212 (बी) आर०टी०एक्ट एवं 145 सीआर०पी०सी० का प्रकरण 2024 से जैरकार हैं जिसमें आगामी तारिख पेशी बहस में नियत हैं जिसमें आगामी तारिख पेशी वास्ते बहस में नियत होने पर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरणो के निस्तारण में विलम्ब कारित करने की मंशा से निराधार बिन्दुओ पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। जिससे स्पष्ट हैं कि प्रार्थीगण द्वारा विधि का दुरुप्योग कर केवल मात्र उक्त लम्बित प्रकरणो के निर्णय में विलम्ब कारित करने के आश्य से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं जो चलने योग्य नहीं हैं । प्रार्थीगण स्वयं कानून का उल्लघन कर लडाई झगडा करने की प्रवृति वाले व्यक्ति हैं जिन्होने न्यायालय आदेशो को मानने से भी इन्कार कर स्थगन आदेशो की अवहेलना की है। जिस हेतु अप्रार्थी कम 1 ने प्रार्थीगण के विरूद्व समाननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में बउनवान गीता बाई बनाम सुमन वगैरा प्रकरण सख्यां 3617/2024 वास्ते अवमानना की कार्यवाही पेश कर रखी हैं एवं श्रीमान जिला कलैक्ट्र महोदय बारां ने भी स्थगन आदेश की अवहेलना पर तहसीलदार अंता को पत्र कमाक एफ–4 (19) (टूडू) (210) राजस्व/2025/6420 दिनांक 29.07. 2025 को प्रेषित कर मोका रिर्पोट प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये हैं। इससे स्पष्ट हे कि प्रार्थीगण स्वयं कानून के खिलाफ कार्य कर लडाई झगडा करने वाले व्यक्ति हैं। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के हक हिस्से की विवादित आराजी पर लडाई झगडा करने के कारण पुलिस थाना अन्ता द्वारा शान्ती व्यवस्था बनाये रखने हेतु मौजूदा कानूनन के तहत उक्त कार्यवाही माननीय उपखण्ड अधिकारी अन्ता के समक्ष पेश की हुई हैं। जिस कारण श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अन्ता द्वारा उक्त प्रकरण में न्यायोचत निर्णय पारित किया जाना हैं। परन्तु प्रार्थीगण बिना उचित कारण के अप्रार्थीगण के विरूद्ध झूठे निराधार आरोप लगाकर उक्त प्रकरण को टान्सफर्र करवाना चाहते हैं ताकि उक्त प्रकरण के निर्णय को टाला जा सके । जबकी अप्रार्थीगण जो अन्ता उपखण्ड नजदीक होने से प्रत्येक पेशी पर न्यायालय मे आकर अपने प्रकरणो को जागरूक होकर कानूनन का पालन करने वाले सभ्य नागरिक की तरह अपना पक्ष रख कर मामले को जल्द से जल्द निर्णय करवाकर न्याय प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस कारण प्रार्थीगण उक्त प्रकरण टान्सफर्र करवाने की आड में अप्रार्थी कम 1 को परेशान कर उक्त प्रकरण के निर्णय को प्रभावित करने की मंशा रखते हैं। प्रार्थीगण ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में उक्त प्रकरण को ट्रान्सफर करवाने हेतु एक भी उचित कारण नही दर्शाया हैं जिससे साबित होता हो की उपखण्ड अधिकारी महोदय अन्ता द्वारा उक्त प्रकरण में सुमुचित न्याय प्रदान नही किया जा रहाँ हो या प्रार्थीगण को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने में किसी प्रकार का पक्षपात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया जा रहों हों तथा वर्तमान में उपखण्ड अन्ता में पीठासीन अधिकारी पदस्थापित हैं जो रेगुलर कोर्ट चला रहे हैं। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना [illegible] होने व प्रकरण के स्थानान्तरण हेतु पर्याप्त कारणो के अभाव में निरस्तनीय हैं। मनगढंत व नि[illegible]टी असत्य कथनो पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना स्वीकार किया गया तो अप्रार्थी [illegible] मान में भी अस्पताल में भर्ती हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.12.01 12:56:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण निम्न आधारो पर यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करते है कि :

लम्बी दुरी की यात्रा करने में काफी कष्टो का सामना करना पडेगा तथा उक्त प्रकरण के निर्णय में भी विलम्ब कारित होना। जबकी उपखण्ड अन्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के निवास स्थान व विवादीत आराजी के काफी नजदीक स्थित हैं। इस कारण सुविधा का बिन्दु भी अप्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विशेष हर्जा खर्चा निरस्त फरमावें।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत द्वितीय प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा–451 भा.ना.सं. पुराना धारा 411** सीआरपीसी संक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त बउनवानी प्रकरण न्यायालय उप जिला मजि० महोदय अन्ता मे वर्ष 2024 से विचाराधीन है। प्रार्थीगण को अन्ता आने जाने मे असुविधा होती है तथा अप्रार्थीया के परिवारजन हमेशा तारीख पेशी पर आकर के लडाई झगडा करने व गाली गलोच करने पर आमादा रहते है अन्ता न्यायालय में अधिकतर समय तारीख पेशी देने मे ही खर्च होता है काम कुछ नही हो पाता है वर्तमान में अन्ता न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की शीट खाली है उपजिला मजि० अटरू को अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है। जो अन्ता कोर्ट वर्क नही कर रहे है। वर्तमान में जनरल तारीख पेशी दी जा रही है आगामी पेशी 20.05.2025 से दिनांक 11.08.2025 नियत की गई है इसलिये प्रार्थीगण अपने प्रकरणो को न्यायालय उपजिला मजि० अन्ता से स्थानान्तरित करवाकर अन्य न्यायालय में सुनवाई हेतु भिजवाना चाहते है। अप्रार्थीया प्रार्थीगण पर मानसिक व शारीरिक दबाव बनाने के लिये नये नये मुकदमे दर्ज करवाती रहती है अप्रार्थीया कम 1 द्वारा 2018 में दावा कमांक 1/2018 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज०टी०एक्ट प्रकरण संख्या 1/2018 पेश किये हुये है। जिसके बाद धारा 212 की उपधारा (1) क.ख. उपधारा 2 राज०टी०एक्ट प्रकरण संख्या 8/2023 पेश कर दिया। इसके बाद पुलिस वालो पर झूठी शिकायते कर करके धारा 145 सीआरपीसी की कार्यवाही प्रकरण संख्या 1/2024 दिनांक 15.04. 2024 को न्यायालय उपजिला मजि०/उपखण्ड अधिकारी अन्ता में पेश करवा रखे है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीया व उसके रिश्तेदारान से हमेशा लडाई झगडे का खतरा बना रहता है इसलिये उक्त प्रकरणो को उपखण्ड अधिकारी/उपजिला मजि० अन्ता से अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने के वैधानिक अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मुकदमा संख्या 1/2024 बउनवान सरकार जरिये एसएचओ अन्ता बनाम 1 पार्टी नं0 1 गीता बाई वगेराह पार्टी नं0 2 भंवर सिंह वगेराह अन्तर्गत धारा 145 सी०आरपीसी न्यायालय उपजिला मजि० अन्ता से अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो हो वह प्रदान की जावे।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी कम 1 व 2 की ओर से इस आशय का पेश हुआ कि आगामी तारिख पेशियां केवल उक्त प्रकरण में ही नही अपितु उस दिनांक को नियत अन्य सभी प्रकरणो में प्रदान की गयी हैं जो उक्त प्रकरण को स्थानान्तरित करने हेतु उचित आधार नही होने से अस्वीकार हैं। अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीगण पर मानसिक व शारारिक दबाव बनाने के लिये मुकदमें दर्ज करवाने के कथन असत्य एवं अस्वीकार होने योग्य हैं। अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक तौर पर विवादीत आराजी को खुर्द–बुर्द कर रहन बय करने की धमकी देने व विवादीत आराजी पर स्थगन आदेश की अवहेलना करने के कारण अपने कानूनी अधिकारो के निमित्त सजग रहते हुये विधि अनुरूप सक्षम न्यायालय में कार्यवाहीयां पेश की हैं तथा प्रस्तुत कार्यवाहीयो में प्रार्थीगण को अपने बचाव में जवाब व साक्ष्य पेश करने एवं सुनवाई का पूर्ण मोका प्राप्त हैं। अप्रार्थी कम 1 वृद्ध महीला हैं जो अक्सर बीमार रहती हैं तथा अप्रार्थी कम 2 स्वयं सरकारी कर्मचारी हैं। जिनके द्वारा लडाई झगडा करने की कोई संभावना नही हैं। प्रार्थीगण जानबूझ कर अप्रार्थीगण पर लडाई झगडा करने का मिथ्या आरोप लगाकर उक्त प्रकरण को स्थानान्तरण करवाना चाहते ताकि उक्त प्रकरण की सुनवाई को टाला जाकर मामले को लम्बा किया जा सकें। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को परेशान करने व अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब कारित करने के आशय से मिथ्या मनगढत आधारो पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो विशेष हर्जा खर्चा सहीत काबिल खारिज होने योग्य हैं। उक्त प्रकरण में प्रार्थी कम 1,2,7 कोटा निवासी हैं तथा प्रार्थी कम 3 ता 6 ग्राम बम्बूलिया तह० अन्ता, जहाँ आराजी स्थित हैं के निवासी हैं जिससे अन्दाजा लगाया जा सकता हैं कि प्रार्थीगण अन्ता आने जाने में असुविधा होने बाबत् मिथ्या कथन कर रहें हैं। क्योकि प्रार्थी कम 1, 2, 7 को कोटा से बारां जिले में आने पर सबसे पहले अन्ता तह० रास्ते में पडती हैं तथा बारां जिले के अन्य उपखण्ड कोटा से दूर पडते हैं तथा प्रार्थी कम 3 ता 6 तो आराजी के मूल ग्राम बम्बूलिया तह० व उपखण्ड अन्ता के निवासरत हैं जिससे स्पष्ट है कि अन्ता आने जाने मे असुविधा का बिन्दु मिथ्या व काल्पनिक हैं। अप्रार्थीया कम 1 लगभग 80 वर्ष की वृद्ध महीला हैं जो अक्सर बीमार रहती हैं तथा वर्तमान में भी गत 5 दिन से अस्पताल में एडमिट है एवं अप्रार्थी कम 2 भी लगभग

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.12.01 12:56:06 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] व्यक्ति हैं जो वर्तमान में कोंटा शहर में निवास करते हैं तथा अन्ता उपखण्ड कोटा से बारां जिले में [illegible] का सबसे पहला उपखण्ड हैं जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के काफी नजदीक हैं। उक्त प्रकरण को [illegible] करने पर अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा कारित होगी तथा उक्त प्रकरण के न्यायनिर्णयन में विलम्ब [illegible] जिस कारण से प्रार्थीगण ने जानबूझ कर उक्त प्रार्थना पत्र अन्ता उपखण्ड/न्यायालय में आने जाने [illegible] का मिथ्या कथन कर बिना स्वत्रन्त्र साक्षी का शपथ पत्र पेश किये श्रीमान के समक्ष पेश किया हें [illegible] निरस्तनीय हैं। वर्तमान में अन्ता उपखंड अधिकारी कार्यरत हैं जो न्यायिक प्रकरणो की समुचित सुनवाई कर [illegible] है। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अन्ता के समक्ष उक्त 145सीआर०पी०सी० का प्रकरण 2024 से जैरकार हैं जिसमें आगामी तारिख पेशी बहस में नियत हैं तथा उक्त प्रकरण के आलावा अप्रार्थी कम 1 द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अन्ता के समक्ष बउनवान प्रकरण गीता बाई बनाम भंवरसिंह वगैरा प्रकरण सख्यां 01/2018 अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर०टी० एक्ट वर्ष 2018 से विचाराधीन हैं, जिसमें आज दिवस तक प्रार्थीगण को कोई असुविधा कारित नही हुई हैं। अप्रार्थी कम 1 द्वारा प्रस्तुत बउनवान प्रकरण गीता बाई बनाम भंवरसिंह अन्तर्गत धारा 212 आर०टी० एक्ट व धारा 212 (बी) आर०टी०एक्ट जिसमें आगामी तारिख पेशी वास्ते बहस में नियत होने पर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरणो के निस्तारण में विलम्ब कारित करने की मंशा से निराधार बिन्दुओ पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जिससे स्पष्ट हैं कि प्रार्थीगण द्वारा विधि का दुरुप्योग कर केवल मात्र उक्त लम्बित प्रकरणो के निर्णय में विलम्ब कारित करने के आश्य से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं हैं। प्रार्थीगण स्वयं कानून का उल्लघन कर लडाई झगडा करने की प्रवृति वाले व्यक्ति हैं जिन्होने न्यायालय आदेशो को मानने से भी इन्कार कर स्थगन आदेशो की अवहेलना की हैं। जिस हेतु अप्रार्थी ने प्रार्थीगण के विरूद्ध समाननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में बउनवान गीता बाई बनाम सुमन वगैरा प्रकरण सख्यां 3617/2024 वास्ते अवमानना की कार्यवाही पेश कर रखी हैं एवं श्रीमान जिला कलैक्ट्र महोदय बारां ने भी स्थगन आदेश की अवहेलना पर तहसीलदार अंता को पत्र कमाक एफ–4 (19) (टूडू) (210) राजस्व/2025/6420 दिनांक 29.07.2025 को प्रेषित कर मोका रिर्पोट प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये हैं। इससे स्पष्ट हे कि प्रार्थीगण स्वयं कानून के खिलाफ कार्य कर लडाई झगडा करने वाले व्यक्ति हैं। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के हक हिस्से की विवादीत आराजी पर लडाई झगडा करने के कारण पुलिस थाना अन्ता द्वारा शान्ती व्यवस्था बनाये रखने हेतु मौजूदा कानूनन के तहत उक्त कार्यवाही माननीय उपखण्ड अधिकारी अन्ता के समक्ष पेश की हुई हैं। जिस कारण श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अन्ता द्वारा उक्त प्रकरण में न्यायोचत निर्णय पारित किया जाना हैं। परन्तु प्रार्थीगण बिना उचित कारण के अप्रार्थीगण के विरूद्व झूठे निराधार आरोप लगाकर उक्त प्रकरण को टान्सर्फर करवाना चाहते हैं ताकि उक्त प्रकरण के निर्णय को टाला जा सके। जबकी अप्रार्थीगण जो अन्ता उपखण्ड नजदीक होने से प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में आकर अपने प्रकरणो को जागरूक होकर कानूनन का पालन करने वाले सभ्य नागरिक की तरह अपना पक्ष रख कर मामले को जल्द से जल्द निर्णय करवाकर न्याय प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस कारण प्रार्थीगण उक्त प्रकरण टान्सर्फर करवाने की आड में अप्रार्थीगण को परेशान कर उक्त प्रकरण के निर्णय को प्रभावित करने की मंशा रखते हैं। प्रार्थीगण ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में उक्त प्रकरण को ट्रान्सफर करवाने हेतु एक भी उचित कारण नही दर्शाया है जिससे साबित होता हो की उपखण्ड अधिकारी महोदय अन्ता द्वारा उक्त प्रकरण में सुमुचित न्याय प्रदान नही किया जा रहाँ हो या प्रार्थीगण को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने में किसी प्रकार का पक्षपात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया जा रहीं हों तथा वर्तमान में उपखण्ड अन्ता में पीठासीन अधिकार पदस्थापित हैं जो रेगुलर कोर्ट चला रहे हैं। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निराधार कथनो पर आधारित होने व प्रकरण के स्थानान्तरण हेतु पर्याप्त कारणो के अभाव में निरस्तनीय हैं। मनगढंत व निराधार बनावटी असत्य कथनो पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना स्वीकार किया गया तो अप्रार्थीया कम बुर्जुग बीमार महीला है जो वर्तमान में भी अस्पताल में भर्ती है। जिसे लम्बी दुरी की यात्रा करने में काफी कष्टो का सामना करना पड़ेगा तथा उक्त प्रकरण के निर्णय में भी विलम्ब कारित होगा । जबकी उपखण्ड अन्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के निवास स्थान व विवादीत आराजी के सबसे नजदीक स्थित हैं। इस कारण सुविधा का बिन्दु भी अप्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विशेष हर्जा खर्चा निरस्त फरमावें।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्रों में [illegible] कथन किया कि अप्रार्थीगण को अन्ता आने जाने में असुविधा होती है तथा अप्रार्थीया के परिवारजन [illegible] तारीख पेशी पर आकर के लडाई झगडा करने व गाली गलोच करने पर आमादा रहते है [illegible] पेशी देने में ही खर्च होता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.12.01 12:56:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण निम्न आधारो पर यह प्रार्थना पत्र पेश कर [illegible]

कार्य नहीं हो पाता है वर्तमान में अन्ता न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की शीट खाली है उपखण्ड अधिकारी अटरू को अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है। जो अन्ता कोर्ट वर्क नहीं कर रहे है। अतः प्रार्थीगण के उक्त प्रकरणों को बारां जिले के अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने के आदेश प्रदान फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी कम 1 वृद्ध महीला हैं जो अक्सर बीमार रहती हैं तथा अप्रार्थी कम 2 स्वयं सरकारी कर्मचारी हैं। जिनके द्वारा लडाई झगडा करने की कोई संभावना नही हैं। प्रार्थीगण जानबूझ कर अप्रार्थीगण पर लडाई झगडा करने का मिथ्या आरोप लगाकर उक्त प्रकरण को स्थानान्तरण करवाना चाहते ताकि उक्त प्रकरण की सुनवाई को टाला जाकर मामले को लम्बा किया जा सकें। उक्त प्रकरण में प्रार्थी कम 1,2,7 कोटा निवासी हैं तथा प्रार्थी कम 3 ता 6 ग्राम बम्बूलिया तह० अन्ता, जहाँ आराजी स्थित हैं के निवासी हैं जिससे अन्दाजा लगाया जा सकता हैं कि प्रार्थीगण अन्ता आने जाने में असुविधा होने बाबत् मिथ्या कथन कर रहें हैं। क्योकि प्रार्थी कम 1, 2, 7 को कोटा से बारां जिले में आने पर सबसे पहले अन्ता तह० रास्ते में पडती हैं तथा बारां जिले के अन्य उपखण्ड कोटा से दूर पडते हैं तथा प्रार्थी कम 3 ता 6 तो आराजी के मूल ग्राम बम्बूलिया तह० व उपखण्ड अन्ता में ही निवासरत हैं जिससे स्पष्ट है कि अन्ता आने जाने मे असुविधा का बिन्दु मिथ्या व काल्पनिक हैं। अप्रार्थीया कम 1 लगभग 80 वर्ष की वृद्ध महीला हैं जो अक्सर बीमार रहती हैं तथा वर्तमान में भी गत 5 दिन से अस्पताल में एडमिट हैं एवं अप्रार्थी कम 2 भी लगभग 56 वर्ष का व्यक्ति हैं जो वर्तमान में कोटा शहर में निवास करते हैं तथा अन्ता उपखण्ड कोटा से बारां जिले में प्रवेश करने का सबसे पहला उपखण्ड हैं जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के काफी नजदीक हैं। उक्त प्रकरण को स्थानान्तरण करने पर अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा कारित होगी तथा उक्त प्रकरण के न्यायनिर्णयन में विलम्ब कारित होगा जिस कारण से प्रार्थीगण ने जानबूझ कर उक्त प्रार्थना पत्र अन्ता उपखण्ड/न्यायालय में आने जाने में असुविधा का मिथ्या कथन कर बिना स्वत्रन्त्र साक्षी का शपथ पत्र पेश किये श्रीमान के समक्ष पेश किया हें जो निरस्तनीय हैं। वर्तमान में अन्ता उपखंड अधिकारी कार्यरत हैं जो न्यायिक प्रकरणो की समुचित सुनवाई कर रहें है। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अन्ता के समक्ष उक्त 145सीआर०पी०सी० का प्रकरण 2024 से जैरकार हैं जिसमें आगामी तारिख पेशी बहस में नियत हैं। प्रार्थीगण द्वारा विधि का दुरुप्योग कर केवल मात्र उक्त लम्बित प्रकरणो के निर्णय में विलम्ब कारित करने के आश्य से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किये गये है जो चलने योग्य नहीं हैं। प्रार्थीगण स्वयं कानून का उल्लघन कर लडाई झगडा करने की प्रवृति वाले व्यक्ति हैं जिन्होने न्यायालय आदेशो को मानने से भी इन्कार कर स्थगन आदेशो की अवहेलना की हैं। जिस हेतु अप्रार्थी ने प्रार्थीगण के विरूद्ध समाननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में बउनवान गीता बाई बनाम सुमन वगैरा प्रकरण सख्यां 3617/2024 अवमानना की कायवाही पेश कर रखी हैं। इससे स्पष्ट हे कि प्रार्थीगण स्वयं कानून के खिलाफ कार्य कर लडाई झगडा करने वाले व्यक्ति हैं। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के हक हिस्से की विवादीत आराजी पर लडाई झगडा करने के कारण पुलिस थाना अन्ता द्वारा शान्ती व्यवस्था बनाये रखने हेतु मौजूदा कानून के तहत उक्त कार्यवाही माननीय उपखण्ड अधिकारी अन्ता के समक्ष पेश की हुई हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया जो कि प्रकरण को अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने हेतु आवश्यक हो। प्रकरण में अधिकांश पक्षकारान उपखण्ड क्षेत्र अन्ता तथा उपखण्ड क्षेत्र अन्ता के समीपस्थ क्षेत्र के निवासी हैं तथा विवादित आराजीयात भी उपखण्ड क्षेत्र में स्थित है। वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, अन्ता पदस्थापित एवं कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य पाये जाते हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–235 आर.टी एक्ट एवं प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा–451 भा.ना.सं. पुराना धारा 411 सी.आर.पी.सी.** खारिज किये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.12.01 12:56:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण निम्न आधारो पर यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करते है कि :–